



डिक्री व मुकदमे इब्दादाई
(आर्डर 20,रूल्स 6,7,सीपीसी)
न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-49 / 2023

दर्ज तिथि:-21.06.2023

1. भाखराराम पुत्र नरसिंगाराम
2. सोहनलाल पुत्र नरसिंगाराम
3. मणीलाल पुत्र नरसिंगाराम
4. भाणी पत्नी नरसिंगाराम
जाति विश्नोई निवासी सुनारों की बेरी, रोहिला पूर्व,पटवार हल्का लूखू,तहसील
धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. गोपाराम पुत्र फगलुराम
2. छोगाराम पुत्र फगलुराम
3. बाबू पुत्र फगलुराम
4. बीजाराम पुत्र फगलुराम
5. सुरताराम पुत्र फगलुराम
6. सोमाराम पुत्र भीयाराम
7. श्रीराम पुत्र भीयाराम
8. उका उर्फ सुखा पुत्र भीयाराम
9. वीरों पत्नी भीयाराम
10. भागीरथराम पुत्र वरसीगाराम
11. श्रीराम पुत्र वरसीगाराम

जाति विश्नोई निवासी सुनारों की बेरी,रोहिला पूर्व, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

12. शाखा प्रबन्धक,दी बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक शाखा धोरीमन्ना
13. तहसीलदार / उपपंजियक धोरीमन्ना

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता


वादीगण:-श्री ओमप्रकाश विश्नोई

प्रतिवादीगण:-एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88,53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955




सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना




—:पर्चा डिक्री:—

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरार हकक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीगण को मुतनाजा आराजी पटवार हल्का लूखू के राजस्व ग्राम सुनारों की बेरी के खसरा संख्या 129 रकबा 1.6430 है0 किस्म बरानी सोयम में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 को 1/2-1/2 हक हिस्से का पुर्नभरण के अनुसार पारित नामान्तकरण के आधार पर संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है। तथा उक्त आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 का नाम जो भूलवंश गलत दर्ज हुआ विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादीगण को उक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरुस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। तथा वादीगण के हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

यह पर्चा-डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो।
पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा-डिक्री आज दिनांक 12.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।


(भागीरथराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना-बाड़मेर

